संख्या-2/343/26-2-2014-100(1)/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक 11 फरवरी, 2014

विषय: **समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07 फरवरी, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जिसके द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के संबंध में मार्ग दर्शक सिद्धांतों के आधार पर क्रियान्वयन हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा भरे जाने वाले **आवेदन पत्र** का प्रारूप शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक प्रेषित किया जा रहा है। आवेदन पत्र का उक्त प्रारूप एन0आई0सी0 की वेबसाइट http://swd.up.nic.in तथा विभागीय वेबसाइट http://dirsamajkalyan.in पर उपलब्ध है। उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप समस्त जिलाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भी भेजी जा रही है।

3- समस्त जिलाधिकारी आवेदन पत्र का प्रारूप स्थानीय स्तर पर छपवाये, जिसकी अनुमानित लागत अधिकतम 0.70 पैसे होगी। प्रथम चरण में जनपद हेतु लक्षित लाभार्थियों की संख्या से लगभग डेढ़ गुना आवेदन पत्र की प्रति छपवाना उपयुक्त होगा। आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी के लिखित आदेशोपरांत अतिरिक्त आवेदन पत्र भी छपवाये जा सकते हैं। आवेदन पत्रों की उक्त छपाई का कार्य वित्तीय नियमों का पालन करते हुए सुनिश्चित करें।

4- यह सुनिश्चित किया जाय कि ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन पत्र प्रत्येक दशा में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव, विकास खण्ड कार्यालय तथा तहसील कार्यालय पर तथा शहरी क्षेत्र में नगर निकाय स्तर पर पार्षद/सदस्य/नगर निकाय के

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिशासी अधिकारी कार्यालय अथवा नगर आयुक्त के कार्यालय में **दिनांक 15.02.2014** तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध हो जाये तथा आवेदन पत्रों के वितरण का कार्य प्रारम्भ हो जाय।

5- आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 31.03.2014** निर्धारित की गयी है। सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्र में नगर निकाय कार्यालय में अंतिम तिथि तक जमा किये जाएगें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।

**संलग्नक-यथोपरि।**

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0 सं0- संख्या-343 (1)/26-2-2014-100(1)/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
4- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

दीनानाथ
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in